नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्नपत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सूचना प्रौद्योगिकी

प्रसंग

- हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के निर्देशन में राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM) पर एक नया प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत-विशिष्ट डेटासेट का एक बड़ा भंडार बनाने और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा को साझा करने पर बल दिया दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि एनडीजीएपी गैर-व्यक्तिगत डेटा तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। साथ ही, यह मसौदा नीति सरकारी डेटा साझा करने के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार, डिजाइन द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने पर केन्द्रित है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- 26 मई को मसौदा नीति प्रकाशित की गई।
- 18 जून तक प्रतिक्रिया आमंत्रित थी।
- 250 से अधिक हितधारकों के साथ वार्ता आयोजित

नीति का फोकस

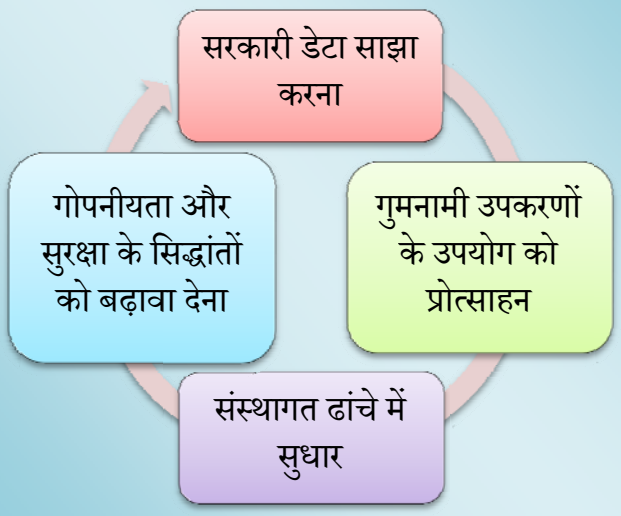

उद्देश्य

- एआई और डेटा आधारित अनुसंधान और एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करते हुए सरकार के डेटा संग्रह और प्रबंधन का मानकीकरण करना।

भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय (आईडीएमओ)

- प्रारूप में यूएस फेडरल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की तर्ज पर इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (आईडीएमओ) स्थापित करने की योजना शामिल है।
- आईडीएमओ की स्थापना, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत नीति बनाने, प्रबंधन और समय-समय पर संशोधन करने के लिए की जाएगी।

पृष्ठभूमि और प्रस्ताव

- ढांचे के हिस्से के रूप में एक मंच तैयार किये जाने की योजना है, जो अनुरोधों को संसाधित करेगा और भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप को गैर-व्यक्तिगत और/या अज्ञात डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले MeitY ने उसी पर एक मसौदा नीति प्रकाशित की थी, किन्तु डेटा साझा करने की योजना को लेकर मंत्रालय द्वारा व्यापक आलोचना का सामना करने के बाद इसे वापस ले लिया गया था।
- वर्तमान मसौदे में डेटा मुद्रीकरण के प्रावधान नहीं हैं।

भारत डेटासेट कार्यक्रम

- नीति के हिस्से के रूप में, भारत सरकार, भारत डेटासेट कार्यक्रम भी बनाएगी, जिसमें सरकारी संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत और अज्ञात डेटासेट शामिल होंगे।
- इस डाटा को भारतीय नागरिकों या भारत में रहने वालों को आधार मानते हुए एकत्र किया गया है।
- नीति में उल्लिखित है कि इस तरह के डेटा को साझा करने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ढांचे के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

- मसौदे में उल्लिखित है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के निर्देशन में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (आईडीएमओ) स्थापित किया जाएगा, जो नीति के तहत नियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों को विकसित करके डेटा ढांचे के लिए उत्तरदायी होगा।

डेटासेट कहां से प्राप्त किए जाएंगे?

- मसौदा नीति में वर्णित है कि प्रत्येक सरकारी मंत्रालय/विभाग/संगठन को उपलब्ध डेटासेट की पहचान और वर्गीकरण करना होगा।
- निजी कंपनियां भी डेटासेट बना सकती हैं और इंडिया डेटासेट प्रोग्राम में योगदान कर सकती हैं।
- आईडीएमओ इस संबंध में नियम और मानक निर्धारित करेगा

- साथ ही, यह प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप द्वारा उपयोग के लिए गैर-व्यक्तिगत और / अथवा अज्ञात डेटासेट तक पहुंच के अनुरोध को संसाधित करता है।
- विभागों और मंत्रालयों में एक नामित अधिकारी की अध्यक्षता में डेटा प्रबंधन इकाइयाँ (DMU) होंगी। यह अधिकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आईडीएमओ के साथ मिलकर काम करेगा।
- राज्य सरकारों को भी राज्य-स्तरीय डेटा अधिकारियों को नामित / नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और आईडीएमओ इस संबंध में प्रशिक्षण सहित सभी सहायता प्रदान करेगा।

डेटा कैसे साझा किया जाएगा?

- आईडीएमओ गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करते हुए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट साझा करने के लिए प्रोटोकॉल को अधिसूचित करेगा।
- आईडीएमओ भारतीय/भारत-आधारित अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता/विशेष रूप से डेटा प्रदान करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा।
- मसौदा नीति में कहा गया है कि प्रस्तावित नियामक संस्था डेटा की वास्तविकता और उसकी वैधता का भी आकलन करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)

क्या है?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत एक पूर्ण मंत्रालय है। इसका गठन 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय विभाग के बाद किया गया था।

मिशन

- नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अंगीकार करना, जिसमें मानव संसाधन का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाना शामिल है।
- डिजिटल सेवाएं और एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- ई-सरकार: ई-सेवाओं के वितरण के लिए ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।
- ई-उद्योग: इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण और आईटी-आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना।
- ई-नवाचार / आर एंड डी: आर एंड डी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन - आईसीटी एंड ई के उभरते क्षेत्रों में नवाचार / आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को सक्षम करना / आर एंड डी अनुवाद के लिए तंत्र की स्थापना।
- ई-लर्निंग: ई-कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- ई-सुरक्षा: भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा।
- ई-समावेश: अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट गवर्नेंस: इंटरनेट गवर्नेंस के वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाना।

डाटा तक पहुँच की प्रक्रिया

- मसौदा नीति के अनुसार, आईडीएमओ डेटासेट एक्सेस प्लेटफॉर्म का डिजाइन और रख-रखाव करेगा, जो डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- इंडिया डेटासेट प्रोग्राम के सभी डेटासेट को केवल इसके और किसी अन्य आईडीएमओ-निर्दिष्ट और अधिकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

- नीति ने आईडीएमओ को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देकर डेटा अनुरोधों की सीमा का भी प्रस्ताव दिया है कि अनुरोध करने वाली संस्थाओं को उनके उपयोग के मामलों के लिए पूर्ण डेटाबेस या संयोजन तक पहुंच की अनुमति दी जाए अथवा नहीं।
- आईडीएमओ अंतर-सरकारी डेटा एक्सेस के लिए एक तंत्र भी विकसित करेगा। इसमें उल्लिखित है कि सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग सरकार से सरकार तक डेटा एक्सेस के लिए स्पष्ट मेटाडेटा और डेटा डिक्शनरी के साथ विस्तृत, खोज योग्य डेटा इन्वेंटरी तैयार करेंगे।

डेटा शेयरिंग और स्टोरेज की व्यवस्था

- मसौदा नीति में कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक एकत्र / संग्रहीत / साझा और एक्सेस किए गए डेटा के लिए प्रकटीकरण मानदंड तैयार किए जाएंगे।
- इसके अलावा, आईडीएमओ सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र से इतर साझा किए गए डेटा के नैतिक और उचित उपयोग के सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- आईडीएमओ नागरिकों के लिए डेटासेट का अनुरोध करने, शिकायतें दर्ज करने और समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए आईडीएमओ के तहत डेटा प्रबंधन इकाइयों (डीएमयू) की जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के तत्वावधान में 21 फरवरी, 2022 को "ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022" शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था।

नीति का उद्देश्य

- सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से परिवर्तित करना।
- सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक डेटा के लाइसेंस और बिक्री की अनुमति देने के लिए मसौदा डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के प्रस्ताव चर्चा में थी।

एनडीजीएफपी के तहत नए ढांचे का अनावरण

- इंटरनेट कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा नागरिकों से एकत्र किए गए गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए इसकी आलोचना की गई थी।
- आलोचना के तहत सरकार ने बाद में नीति को निरस्त कर दिया और इस वर्ष मई में नए नाम एनडीजीएफपी के तहत नए ढांचे का अनावरण किया।
- ज्ञातव्य है कि इस नए ढांचे में सरकार द्वारा एकत्र किए गए डेटा को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने संबंधी विवादास्पद खंड को समाप्त कर दिया गया है।

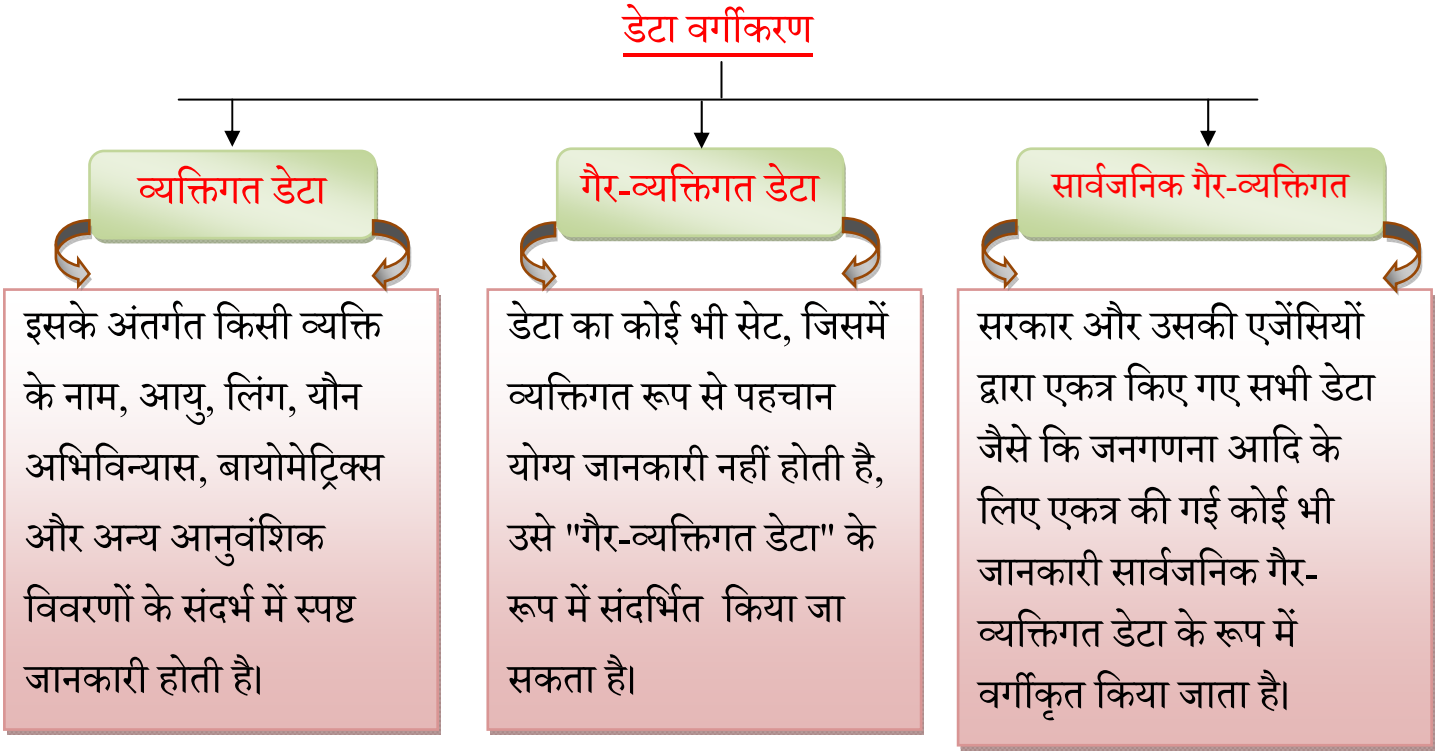

चुनौतियों

- नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (एनडीजीएफपी) के अंतर्गत प्रस्तावित भारत-विशिष्ट डेटासेट का बड़ा भंडार बिग टेक के वाणिज्यिक संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- डेटासेट का भंडार केवल भारतीय स्टार्टअप के लिए उपलब्ध होगा।
- इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या भारतीय स्टार्टअप का आशय भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स से है अथवा जो देश में परिचालन कर रहे हैं।
- गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा पर चिंता व्यक्त की जा रही है।

- वर्तमान में जब विश्व ब्लॉकचैन जैसे विकेन्द्रीकृत ढांचे की ओर बढ़ रही है, तब एनडीजीएफपी के डेटा केंद्रीकरण पहलू के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है।
- अभी तक आईडीएमओ के संचालन को लेकर अस्पष्टता है।

निष्कर्ष

- वर्तमान समय में डेटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक संसाधन बन गया है।
- विदित है कि भारत में सरकार सबसे बड़ा डेटा भंडार है।
- फलतः एक नीतिगत ढांचा न केवल इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में देश में गैर-व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है, बल्कि सरकारी डेटा साझाकरण को प्रभावी बनाने के लिए भी है, जो आज कई बाधाओं का सामना कर रहा है।